

भाग - 4

उत्तराखण्ड - FP/UP/Trans/ 22021/ 2016

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय CCN और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणीयों की सुरक्षा समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।</p>
----	---

प्रधान की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।



17/11/2021

तिथि : १९.११.१८

स्थान :

हस्ताक्षर

Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

पद का नाम

सरकारी मोहर